

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 220 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेश बंसल, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्रीमती भंवर कंवर पत्नि श्री भगवान सिंह खंगारोत निवासी,
हनुमान नगर कालोनी, हिंगोनिया कस्बे के पास, पंचायत
जोरपुरा सुन्दरियावास, तह. सांभर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राजेश बंसल, सांभर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 05.04.2012 को घरेलू गैस की कालाबाजारी की सूचना पर अप्रार्थीया के घर पहुंचे। दौराने जांच अप्रार्थी के घर के सामने किराये पर लिये हुये स्थान से 57 घरेलू गैस सिलेण्डर (11 आईओसी एवं 46 एचपीसी), 5 बड़े गैस सिलेण्डर (3 आईओसी एवं 2 एचपीसी) एवं 46 घरेलू उपभोक्ता डायरियां भी पाई गई, जो कि अवैध रूप से रखे हुये थे, जब्त किये गये। अप्रार्थीया द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण किया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीया को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। अप्रार्थीया की ओर से दिनांक 28.09.2012 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने उपस्थिति दी। दिनांक 09.07.2012 को अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि ग्रामवासियों द्वारा अपने सिलेण्डर्स, समयमाव व सिलेण्डर्स की होम डिलीवरी नहीं होने के कारण मय प्राधिकार पत्र के एजेन्सी से भरे हुये सिलेण्डर लेने के लिये अप्रार्थीया के पास छोडे हुये थे, जिनकी डिलीवरी एजेन्सी अप्रार्थीया के घर के समीप करती है। अप्रार्थीया किसी भी प्रकार से घरेलू सिलेण्डर्स का अवैध कारोबार नहीं करती है। दिनांक 27.06.2012 ग्रामवासियों ने हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पेश कर जब्त सिलेण्डर्स को स्वयं का बताया एवं कथन किया कि गैस एजेन्सी की दूरी गांव से बहुत ज्यादा है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीया/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 05.04.2012 को जब्त सामान का अप्रार्थीया द्वारा अवैध भण्डारण किया गया था। मौके पर एक साथ 62 घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारित मिले, जो कि एलपीजी के ज्वलनशील वस्तु होने से सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक थे। ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत प्राधिकार पत्र में अंकित है कि उन्होंने अप्रार्थी को बिना किसी हर्जे खर्चे के गैस रिफिलिंग के लिये अधिकृत किया है। उक्त उपभोक्तों के कनेक्शन अलग-अलग एजेन्सीज के हैं जो संभवतया एक ही जगह और एक ही समय गाडी खडी करके डिलीवरी नहीं देते होंगे। अप्रार्थी का बिना किसी अतिरिक्त फीस के अलग-अलग जगह से अलग-अलग समय पर उक्त उपभोक्ताओं के सिलेण्डरर्स की डिलीवरी लेना संदेहास्पद है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध परमिशन के दूसरे उपभोक्ताओं के सिलेण्डर्स का भण्डारण किया गया था। मौके से 62 सिलेण्डर्स जबकि कनेक्शन डायरियां केवल 46 जब्त हुयी, यह भी संदेहास्पद है। ग्रामवासियों द्वारा की गयी गैस एजेन्सी के विरुद्ध की गई किसी भी शिकायत से संबंधित दस्तावेज अप्रार्थीया द्वारा पेश नहीं किये गये। अप्रार्थीया द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में जो साक्ष्य सबूत उपलब्ध करवाये गये हैं उनसे सिलेण्डर्स का वैध भण्डारण सिद्ध नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा अवैध भण्डारण व खरीद-फरोख्त किया जाकर आरपीपीएल ऑर्डर 1990 एवं एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा फर्दानुसार जब्त 46 घरेलू गैस ग्राहक डायरियों को छोडते हुये शेष सामान 57 घरेलू गैस सिलेण्डर (11 आईओसी एवं 46 एचपीसी), 5 बड़े गैस सिलेण्डर (3 आईओसी एवं 2 एचपीसी) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर